



बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

Bihar State Power (Holding) Company Limited

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना)

(Regd. Office : 3rd Floor, Vidyut Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg, Patna)

Website :- www.bspchl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION

कार्यालय आदेश संख्या 364 /पटना, दिनांक 20-02-2019

H-VI/आवास (Retention)-2011/2013 (Part)

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-436 दिनांक 23.04.2015 में निहित प्रावधान के तहत निम्नलिखित कर्मों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके अनुरोध पर पूर्व से आवंटित आवास को BSPHCL का पत्रांक-261 दिनांक-28.09.2013 के द्वारा निर्धारित मानक किराया का 10 (दस) गुणा पर धारित करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र० सं० | नाम, पदनाम एवं कम्पनी | सेवानिवृत्ति की तिथि | आवास धारित की अवधि | आवास संख्या |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री मुरली मनोहर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, एन०बी०पी०डी०सी०एल०। | दिनांक 31.07.2016 | दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक | E-01 (CAB) |

- नियमानुसार कार्यालय आदेश संख्या 436 दिनांक 23.04.2015 के आलोक में सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अगले 3 (तीन) माह तक मानक किराया (₹310/- प्रति माह), 4 (चार) माह से 6 (छः) माह तक मानक किराया का 2 (दो) गुणा (₹620/- प्रति माह), एवं 7 (सात) माह से 09 (नौ) माह तक मानक किराया का 10 (दस) गुणा (₹3100/- प्रति माह) दण्डात्मक किराया के रूप में कटौती सुनिश्चित की जाय एवं कटौती प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाय।
- श्री प्रसाद को उनका अपना आवास बन कर तैयार होने तथा मार्च में गृह प्रवेश को देखते हुए अंतिम रूप से आवास आवंटन का विस्तार एवं इस कार्यालय के पत्रांक-1455 दिनांक-17.11.2018 द्वारा पेंशन पर रोक को इस शर्त पर हटाया जाता है कि यदि उनके द्वारा उक्त तिथि के बाद आवास खाली नहीं किया जायेगा तो माह अप्रैल-2019 से पुनः मासिक पेंशन के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। साथ ही श्री प्रसाद को यह भी निदेश दिया जाता है कि दिनांक-31.03.2019 तक आवास संख्या E-01 (CAB) निश्चित रूप से खाली कर दें, अन्यथा आदेश की अवहेलना के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई तथा Eviction की कार्रवाई की जायेगी।

आदेश से,

ह०/

(सुनील कुमार सिंह)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक _____ / दिनांक _____/2019

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, नूतन राजधानी प्रमण्डल, पटना, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/लेखा पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं श्री मुरली मनोहर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, आवास संख्या-E-01 (CAB), BSPHCL कॉलोनी, न्यू पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक _____/

दिनांक _____/2019

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियन्ता-सह-सम्पदा पदाधिकारी (असैनिक), असैनिक प्रमण्डल, न्यू पुनाईचक, पटना/सहायक विद्युत् अभियन्ता, विद्युत् आपूर्ति अवर प्रमण्डल, BSPHCL कॉलोनी, न्यू पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि श्री मुरली मनोहर प्रसाद, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, आवास संख्या- E-01 (CAB) द्वारा उपर्युक्त निर्धारित अवधि तक खाली नहीं करने की स्थिति में उक्त आवास का बिजली/पानी विच्छेद कर दिया जाय तथा कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय।

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)


उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक 301 /

दिनांक 20-2/2019

प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक (आई०टी०)/डी०बी०ए०, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को कम्पनी के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।



(सुनील कुमार सिंह)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)